

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ कैम्प गोगामेडी

क्रमांक-

दिनांक-

गोगामेडी बेल्ला क्षेत्र में 11 माह की अस्थायी दुकानों की खुली बोली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर भविष्य श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में बेल्ला समाप्ति के उपरान्त गोगामेडी बेल्ला क्षेत्र में लगभग 11 माह के लिए विक्रम संवत् 2074 दिनांक 11.09.2017 से 25.7.2018 तक लगाने वाली अस्थायी दुकानों की खुली बोली दिनांक 05.09.17 को जोके पर प्रातः 11.00 बजे से का लगेगी। जो महाबुध उक्त अवधि हेतु मुख्यण्ड किराये पर लेना चाहते हैं वे जोके पर उपस्थित होकर जेठे सुप्रत पहचान पत्र एवं पैन नम्बर की फोटो प्रति एवं धरोकर राशि 10,000/- रुपये प्रति व्यवसायिक मुख्यण्ड जमा करवाकर बोली दे सकते हैं। अंतिम बोलीदाता को पूरे किराया राशि बिना शर्त उन्ही समय जमा करनी होगी, बोली किराया की जाफत धरोकर राशि जाफत कर सिधजापुर कार्यावाही की जाएगी। खुली बोली की शर्तें कार्यालय में तथा बोली स्थल पर देखी जा सकती है। उक्त बोली सूचना SPPP Portal पर व विभागीय वेबसाइट WWW.Devasthanrajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। सभी मुख्यण्डों की उक्त निर्दिष्ट दिनांक को यदि किसी कारणवश बोली पूर्ण नहीं हो पाती है, अथवा स्थगित या राजकीय अवकाश होने पर बोली आगामी दिव भी जारी रहेंगी

प्रतिनिधि
29/8/2017

(ओ.पी.पालीवाल)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ कैम्प
गोगामेडी।

क्रमांक-

दिनांक- 25-8-17

- प्रतिनिधि- अध्याधिकृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया नियत दिनांक 5-9-2017 को होने वाली नीलामी में आपका प्रतिनिधि मनोनीत कर भिजवाने का भ्रम करवाएँ।
 2. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजसम निलामी सूचना विभागीय पोर्टल करने तथा नियत दिनांक 5.9.17 को होने वाली निलामी में आपका प्रतिनिधि भिजवाने का भ्रम करवाएँ।
 3. श्रीमान उपायुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
 4. श्रीमान उपखण्ड अधिवारी नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चरमा हेतु।
 5. श्रीमान कोषाधिकारी हनुमानगढ।
 6. तहसीलदार (राजसम नोहर/भादरा) के नोटिस बोर्ड पर चरमा हेतु।
 7. सचिव, राजसम विभाग गोगामेडी को सूचनार्थ।
 8. निरीक्षक देवस्थान विभाग गोगामेडी।
 9. जेजेसर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चरमा हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ कैम्प
गोगामेडी।

5

**राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ।**

अस्थाई दुकान/भुखण्ड दिनांक 11.09.2017 से 25.07.2018 तक की
खुली बोली की शर्तें

1. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व : 0,000 - रुपये अरोहर राशि जमा करवाने होंगे।
2. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र एवं पेन कार्ड की फोटो प्रति मौके पर स्वयं-के हस्ताक्षर कर जमा करवानी होंगी।
3. मौके की स्थिति अनुसार बाजारों के भुखण्डों की संख्या व साईज कमी अथवा बेसी हो सकती है।
4. अंतिम बोलीदाता को भुखण्ड/दुकान के किराये की राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। राशि जमा नहीं कराने पर बोली निरस्त करने हुए, उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। तथा उसी समय भुखण्ड को द्वितीय बोलीदाता को बोली छोड़ने की कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय बोलीदाता को असमर्थता प्रकट करने पर पुनः खुली बोली की कार्यवाही की जावेगी।
5. बोलीदाता को अस्थाई दुकान स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व नोटिस प्राप्त के 7 दिवस के भीतर दुकान हटानी होगी।
6. अस्थाई दुकानों को खुली बोली की अवधि से पूर्व खाली कराने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा बोली के समय जमा कराई गई राशि में से अनुपातिक रूप से चार्ज कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
7. निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर शासित लगाई जाकर अतिक्रमण हटाया जावेगा।
8. अस्थाई दुकानों में मंदिर की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मॉस, मदिरा एवं बुरादा बेचा जाना वर्जित होगा। अगर कोई दुकानदार विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कार्यवाही की जावेगी।
9. प्रत्येक दुकानदार को दुकान के सम्मुख कचरा पात्र रखना होगा तथा वहां सफाई व्यवस्था स्थायी होगी। सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने पर 500/- रुपये जुर्माना देना होगा तथा प्रत्येक दुकानदार को अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए स्वयं के खर्चे पर अग्निशमन यंत्र लगाना होगा।
10. अस्थाई दुकान/भुखण्ड दिनांक 11.09.17 से 25.7.18 तक के लिए किराये पर दी जा रही है। इसके पश्चात तुरन्त दुकान/भुखण्ड खाली करना होगा।
11. बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार खुली बोली समिती को होगा।
12. मेला क्षेत्र में लगाने वाली अस्थाई दुकान/भुखण्ड में पॉलीथिन थैलिया काम में नहीं ली जावेगी। यदि पॉलीथिन की थैलिया काम में ली गई पाई गई तो उन्हें जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. पूरे मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यदि दुकानदार द्वारा लाउडस्पीकर जगाना गया तो उसे जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. दुकान हेतु बिजली कनेक्शन जोधपुर विद्युत वितरण निगम से लेना होगा।
15. सशर्त नीलामी बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

-SD-
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ कैम्प
गोगामेडी।